उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या 1801 / VII-A-1 / 2024–24(ख) / 2007टी0सी0–1
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1733 / VII-A-1 / 2024–24(ख) / 2007 टी0सी0–1 दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढवाल / कुमांऊ मण्डल पौडी / नैनीताल।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां ओद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 1733 /VII-A-1/2024–24 (ख)/2007 टी0सी0–1
देहरादूनः दिनांकः 8 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
नियम 7– जांच और प्रतिवेदनः– (1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगाः– 1. उप जिलाधिकारी– अध्यक्ष। 2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य। 3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि –सदस्य। 4. जिला खान अधिकारी – सदस्य सचिव। परन्तु उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम–66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। (2) उप जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति	**नियम 7– जांच और प्रतिवेदनः–** (1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, नये खनन क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु समिति निम्नवत होगीः– 1. जिला खान अधिकारी – अध्यक्ष। 2. तहसीलदार – सदस्य। 3. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (मात्र नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य। 4. सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी – सदस्य। 5. भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (मात्र स्वस्थानें चट्टानों आधारित खनन क्षेत्रों हेतु) – सदस्य। (2) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, क्वार्टजाईट, पत्थर/बोल्डर्स, स्लेट आदि के खनन पट्टा हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा। (3) नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जिला खान

Scanned with OKEN Scanner

		सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म देहरादून को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।	अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।
नियम 8 के उपनियम (क) का संशोधन	3.	**मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 08 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**	
		नियम 8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः– (क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।	**नियम 8 – खनन पट्टे की स्वीकृतिः–** (क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये निजी नाप भूमि में स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, बोल्डर्स/पत्थर/स्लेट/क्वार्टजाईट आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु महानिदेशक/निदेशक द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल में स्थित निजी नाप भूमि/राजस्व भूमि /वन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला खान अधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, 06 माह की अवधि के लिए तथा खनन लॉट के नेशनल पार्क/सेंन्चुरी आदि के 10 कि0मी0 की परिधि में होने की दशा में 01 वर्ष हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशय पत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक/निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यदि आशयपत्रधारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में आंगणित रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (जो लागू हों) की धनराशि का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त जमा की जायेगी।

नियम 8 में उपनियम (ग) का अंतःस्थापन

4. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–2 के नियम 8 के उपनियम (ख) के पश्चात उपनियम (ग) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 8– खनन पट्टे की स्वीकृतिः–

(ग) निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुर्ननिर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण हेतु पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 13 के उपनियम (4) का संशोधन

5. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–2 के नियम 13 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

नियम 13 – पट्टाविलेख का निष्पादनः–	**नियम 13 – पट्टाविलेख का निष्पादनः–**
(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त निगमों के द्वारा एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक/निदेशक के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा पट्टे की अवधि की गणना एम0ओ0यू0 की तिथि से की जायेगी।

नियम 15 में उपनियम (4) का अंतःस्थापन

6. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–2 के नियम 15 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 15 – पट्टे का संक्रमण (Transfer)

(4) ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से नदीतल में स्वीकृत खनन पट्टों का संक्रमण (Transfer) की अनुमति सम्बन्धित जिला खान अधिकारी की संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में महानिदेशक/निदेशक द्वारा खनन पट्टे की अवशेष अवधि तक प्रदान की जायेगी तथा तत्पश्चात अनुपूरक पट्टाविलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसके लिये रू0 2.00 लाख का शुल्क देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 18 में उपनियम (4) का अंतःस्थापन

7. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–3 के नियम 18 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम–18 स्वामित्व

(4) प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी के अतिरिक्त निम्न शुल्क देय होगें:–

2. स्टाम्प शुल्क – रायल्टी का 02 प्रतिशत।
3. जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान– रायल्टी का 15 प्रतिशत
4. क्षतिपूर्ति – रायल्टी का 10 प्रतिशत

नियम 20 के उपनियम (4) का संशोधन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–4 के नियम 20 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

नियम–20 ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा–	नियम–20 ई–नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा–
(4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को, ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा। परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों	(4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व नियमावली के अध्याय–2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रो का चिन्हीकरण निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन नियमावली के अध्याय–2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा किया जायेगा तथा गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित जिला खान अधिकारी के द्वारा महानिदेशक/निदेशक को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखो सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई–नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

नियम 25 में उपनियम 10 एवं 11 का अंतःस्थापन

9. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–4 के नियम 25 के उपनियम 9 के पश्चात उपनियम 10 एवं 11 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 25– ई–नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना :–

10. यदि राज्य सरकार के द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को पुर्ननिर्धारित किया जाता है तो पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की पट्टाधनराशि में उसी अनुपात में वृद्धि होगी।

11. ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 20 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुर्ननिर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) की वृद्धि के साथ किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 31 में उपनियम (9) का अंतःस्थापन

10. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–5 के नियम 31 के उपनियम (8) के पश्चात उपनियम (9) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 31–खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी:–

(9) आशय पत्र पर स्वीकृत ऐसे उपखनिज क्षेत्र, जिनमें अपेक्षित अनुमतियाँ निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त करने में किन्ही कारणोंवश समय लगने की संभावना हो, की अनुमति प्राप्त होने तक नदियों में मलवे/आर0बी0एम0 की सफाई/ निकासी रिवर ड्रेजिंग नीति के अधीन की जायेगी। सम्बन्धित आशयपत्र धारक के स्वयं रिवर ड्रेजिंग कार्य करने हेतु इच्छुक होने की दशा में रायल्टी का 02 गुना के समतुल्य धनराशि एवं नियमानुसार अन्य कर जमा करने की दशा में महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। आशयपत्र धारक के इच्छुक न होने की दशा में समय–समय पर प्रभावी उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रिवर ड्रेजिंग की कार्यवाही की जायेगी।

नियम 50 के उपनियम 6 का संशोधन

11. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–5 के नियम 50 के उपनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–**

नियम–50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्ते	**नियम–50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्ते**
6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थतियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में	6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थतियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों

Scanned with OKEN Scanner

बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित तहसीलदार, वन क्षेत्राधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर खान अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

नियम 53 का संशोधन

12. **मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–6 के नियम 53 के उपनियम 1 को विलोपित करते हुए स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–**

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण	**नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण**
1. उपरोक्त नियम–52(2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।	1. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में सडक निर्माण, स्थल विकसित करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, आवासीय भवनों के बेसमेंट की खुदाई से निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं भूवैज्ञानिक की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु बिना सक्षम अनुमति/सूचना के कार्य किये जाने पर उक्त कार्य अवैध कार्य की श्रेणी में आयेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान के लिये अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान
2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी। 3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान,	

Scanned with OKEN Scanner

साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/ परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति उक्त जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निवन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जाने में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होगें। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

3. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होगें। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं

Scanned with OKEN Scanner

बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होगें।

अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ) आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु आंगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। यह प्रक्रिया रोड कटिंग के दौरान अवशेष मलवा, भूस्खलित मलवा, जलाशयों/झील/तालाब/बैराज/डैम/नहर/नाला में जमा मलवा की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी, इस हेतु उनके स्वामित्वों वाले विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

नियम 53 में उपनियम 7, 8, 9 एवं 10 का अंतःस्थापन

13. **मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–6 के नियम 53 के उपनियम 5 के पश्चात उपनियम 6, 7, 8 एवं 9 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारणः–

6. नदीतल से बाहर निजी नाप भूमि में समतलीकरण, रिसाईकलिंग टैंक/वाटर स्टोरेज टैंक एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब के निर्माण (मत्स्य तालाब निर्माण हेतु मत्स्य पालन विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त) के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी, जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जाना हो, के लिए अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा शासन के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

7. वर्षाकाल के दौरान निजी भूमि में गधेरों से मलवा/पत्थर जमा होने की दशा में सम्बन्धित भूमिधर के द्वारा जमा मलवे/पत्थर को हटाने हेतु आवेदन करने पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा जिला खान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या के आधार पर अधिकतम 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0जी0वी0आर (ग्रेफ), बी0आर0ओ0, आई0टी0बी0पी0 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1 में आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति हेतु खनन पट्टा का आशय पत्र निर्गत किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति के उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा परियोजना की समाप्ति अवधि तक अथवा 05 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, तक के लिये खनन पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि उनके द्वारा खनन पट्टे से निकलने वाले उपखनिजों का उपयोग परियोजना के इतर नहीं किया जायेगा।

9. राजस्व एवं निजी नाप भूमि में साधारण मिट्टी/सिल्ट की खुदाई अधिकतम 2.0 मी0 गहराई तक (भरान हेतु) किये जाने तथा उसका अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित आवेदक के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रॉयल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा पदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त कियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेगें तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 57 के उपनियम (1) का संशोधन

14. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–7 के नियम 57 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति	**नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति**
(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।	(1) जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 03 (तीन) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 04 (चार) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

नियम 69 के उपनियम (4) का संशोधन

15. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–8 के नियम 69 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/ निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–	**नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–**
(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।	(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार आवंटन किये जाने में प्रथम वरीयता दी जायेगी। यदि वह खनन पट्टा चाहने हेतु इच्छुक नहीं है तो ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। किसी कारणवश यदि ठेकेदार का अनुबन्ध स्वीकृत अवधि से पूर्व निरस्त होता है तो खनन पट्टा भी स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 69 में उपनियम (6) का अंतःस्थापन

16. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–8 के नियम 69 के उपनियम (5) के पश्चात उपनियम (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :–

(6) रिक्त खनन क्षेत्र से निगमों के वे क्षेत्र, जहां पर कोई आवेदन न किया गया हो अथवा अन्य खनन उपलब्धता वाले क्षेत्र (राजस्व/वन) अभिप्रेत होंगे।

नियम 70 में उपनियम (10) का अंतःस्थापन

17. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय–8 के नियम 70 के उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (10) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम 70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धनः–

(10) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई–रवन्ना पोर्टल में समय–समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई–रवन्ना प्रपत्रों के दुरूप्रयोग को रोके जाने के उद्देश्य से ई–रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्योरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner